पेड़ लगाओ,
जीवन बचाओ

पेड़ लगाओ,
जीवन बचाओ

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

के निर्देशानुपालन में

समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों

द्वारा

''मानवजाति के अस्तित्व के लिए पेड़ों का महत्व''

एवं

''वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण''

पर आधारित एक माह का जागरूकता अभियान

अभियान की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत् है:–

- माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा मार्गदर्शित एवं प्रेरणापथ पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपदों में ''मानवजाति के अस्तित्व के लिए पेड़ों का महत्व'' एवं ''वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण'' विषयक एक माह का जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
- उक्त एक माह का जागरूकता अभियान दिनांक 21 जून, 2023 से 21 जुलाई, 2023 तक संचालित किया जायेगा।
- उक्त अवधि में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जायेगी:–
  - जिला न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, शासकीय विभागों, विद्यालयों, कालेजों, प्रमुख स्थानों, इत्यादि में वृक्षारोपण करना।
  - अन्य पौधों के अतिरिक्त, औषधीय और फलदार पौधे भी लगाना।
  - पौधों/वृक्षों की उचित देखभाल और नियमित रूप से पानी देना सुनिश्चित करना।
  - विद्यालयों एवं कालेजों में जागरूकता शिविर/कार्यक्रम आयोजित करना।
  - स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली का आयोजन करना।
  - विद्यालयों में चित्रकला/स्लोगन/निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करना।
  - रेडियो टॉक शो/नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर, जागरूकता फैलाना।
  - सम्बन्धित विषय पर महत्वपूर्ण सूचनात्मक सामग्री का वितरण कर, आम जनमानस को जागरूक एवं शिक्षित करना।
  - समस्त हितधारकों की प्रभावी भागीदारी और समन्वय सुनिश्चित करना।
  - जनहित में टी.वी. चैनलों, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, डिजिटल मंच के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

हिन्दुस्तान
हल्द्वानी, गुरुवार, 22 जून 2023 06

21 जून से 21 जुलाई तक होंगे पर्यावरण कार्यक्रम

नैनीताल। विधिक सेव प्राधिकरणों के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में 21 जून से 21 जुलाई तक पौधरोपण व पर्यावरण संरक्षण विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहा जानकारी विशेष कार्य अधिकारी उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सैयद गुफरान ने दी।